

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  
आदेशांक-वा0क0अधि0/दस-3-ग/244/2022 दिनांक: लखनऊ: जून, 2022  
--: आदेश :-

स्थानान्तरण विषयक गठित समिति द्वारा दी गयी आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त वाणिज्यकर अधिकरण अधिष्ठान अन्तर्गत पीठों में कार्यरत कर्मचारियों का शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों पर राजकीय कार्य सुचारु रूप से सम्पादन करने हेतु प्रशासनिक/जनहित में निम्नलिखित स्थानीय स्थानान्तरण/पटल परिवर्तन अंकित स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से किये जाते हैं।

क्रम	कर्मचारी का नाम	स्थानीय-वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानीय-स्थानान्तरित स्थान
01	श्रीमती सरिता शर्मा वै0सहायक	मुख्यालय।	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ।
02	श्री देशराज सिंह वै0सहायक	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, कानपुर
03	श्री रणधीर वै0सहायक	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, कानपुर	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर
04	श्री राजेश वै0सहायक	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ	मुख्यालय
05	श्रीमती रीता चन्द्रा प्रधान सहायक/मुंसरिम	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, लखनऊ
07	श्रीमती रीना पाठक प्रधान सहायक/मुंसरिम	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, लखनऊ	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, लखनऊ
08	श्री संग्राम सिंह, प्रधान सहायक/मुंसरिम	सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, आगरा	सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, आगरा
09	श्री राम लक्षन प्रधान सहायक/मुंसरिम	सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, आगरा	सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, आगरा
10	श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय प्रधान सहायक/मुंसरिम	सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5, वाराणसी	सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-6, वाराणसी
11	श्री जय किशुन प्रधान सहायक/मुंसरिम	सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-6, वाराणसी	सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5, वाराणसी
12	कु0 विनिता मेहरोत्रा प्रधान सहायक/मुंसरिम	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, कानपुर
13	श्रीमती मीनू शुक्ला प्रधान सहायक/मुंसरिम	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, कानपुर	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, कानपुर

समस्त सम्बंधित सदस्य पीठ को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 04.07.2022 तक प्रत्येक दषा में सम्बंधित कर्मचारियों को कार्यमुक्त करते हुए अनुपालन आख्या ईमेल/फैक्स के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त आदेश का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाए।

ह0 29.06.22

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

